भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1254

उत्तर देने की तारीख : 08.12.2021

देश में हाथ से मैला उठाना

1254. श्री नीरज डांगी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान में हाथ से मैला उठाने में लगे लोगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान हाथ से मैला उठाने वाले कितने लोगों की मौत हो गई है;

(ग) वर्ष 2016 से अब तक सरकार द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कितने लोगों का पुनर्वास किया गया है, तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) पुनर्वास प्रक्रिया के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है और उसमें से कितनी निधि का उपयोग किया गया है; और

(ड.) सरकार द्वारा ऐसे कामगारों का समुचित पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास अठावले)

(क): देश में वर्तमान में हाथ से मैला उठाने के कार्य में लगे लोगों की कोई रिपोर्ट नहीं है। 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम, 2013)' की धारा 2(1)(छ) के अंतर्गत परिभाषित मैनुअल स्केवेंजिंग दिनांक 06.12.2013 से प्रतिषेधित है। उपर्युक्त तिथि से कोई भी व्यक्ति या एजेंसी मैनुअल स्केवेंजिंग के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त अथवा नियोजित नहीं कर सकती है। कोई भी व्यक्ति या एजेंसी जो एमएस अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी व्यक्ति को मैनुअल स्केवेंजिंग के काम में लगाती है, तो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत वह 2 साल तक की कैद या एक लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड से दंडनीय होगा। वर्ष 2013 और 2018 में मैनुअल स्केवेंजरों की पहचान के लिए दो सर्वेक्षण किए गए हैं। अधिनियम के कार्यान्वयन की तारीख को हाथ से मैला ढ़ोने के कार्य में लगे चिन्हित मैनुअल स्केवेंजरों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ख): मैनुअल स्केवेंजिंग (जो कि एमएस अधिनियम, 2013 की धारा 2(1) (जी) में यथा परिभाषित के अनुसार अस्वच्छ शौचालयों से मानव मल को हाथ से उठाना है) में लगे होने के कारण किसी की मृत्यु की सूचना नही मिली है। तथापि, गत पांच वर्षों के दौरान सीवर और सेप्टिक टैंक की परिसंकटमय सफाई के दौरान दुर्घटनाओं के कारण 321 लोगों की मौतें हुई है।

(ग): वर्ष 2016-17 से मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की स्वरोजगार स्कीम (एसआरएमएस) के अंतर्गत उनके पुनर्वास के लिए सहायता प्राप्त करने वाले मैनुअल स्केवेंजरों की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ): गत पांच वर्षों के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आवंटित और एनएसकेएफडीसी द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नवत है :

क्र. सं.	विवरण	राशि (करोड़ रुपए में)
1.	एनएसकेएफडीसी को जारी की गई निधियां	192.16
2.	एनएसकेएफडीसी द्वारा उपयोग की गई निधियां (गत वर्ष की अव्ययित शेष राशि सहित)	211.84

(ड.): सरकार मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की सरकार स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) कार्यान्वित कर रही है। पहचान किए गए मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करने के प्रावधान निम्नलिखित है:-

परिवार में पहचान किए गए मैनुअल स्कैवेंजर को 40,000/- रुपए की एकमुश्त नकद सहायता।

i. मैनुअल स्केवेंजरों और उनके आश्रितों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, 3000 रुपए प्रति माह की दर से दो साल तक का वजीफा।
ii. स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं सहित स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए ऋण लेने वालों के लिए 5.00 लाख रुपए तक की पूंजीगत सब्सिडी।
iii. आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत सभी पहचान शुदा मैनुअल स्केवेंजरों के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा।

अनुबंध-I

"देश में हाथ से मैला उठाना" के संबंध में दिनांक 08.12.2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1254 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

पहचान किए गए मैनुअल स्केवेंजरों की राज्य-वार संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य का नाम	पहचान किए गए पात्र मैनुअल स्केवेंजरों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	आंध्र प्रदेश	1793
2.	असम	3921
3.	बिहार	131
4.	छत्तीसगढ	3
5.	गुजरात	105
6.	झारखंड	192
7.	कर्नाटक	2927
8.	केरल	518
9.	मध्य प्रदेश	510
10.	महाराष्ट्र	6325
11.	ओडिशा	230
12.	पंजाब	231
13.	राजस्थान	2673
14.	तमिलनाडु	398
15.	उत्तर प्रदेश	32473
16.	उत्तराखंड	4988
17.	पश्चिम बंगाल	680
	कुल	**58098**

अनुबंध- II

"देश में हाथ से मैला उठाना" के संबंध में दिनांक 08.12.2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1254 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार स्कीम (एसआरएमएस)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2016-17 से (31.10.2021 तक) सहायता प्रापत करने वाले मैनुअल स्केवेंजर्रो/उनके आश्रितों की संख्या																	
		प्रति लाभार्थी 40,000/- रुपए की दर से प्रदान किया गया ओटीसीए						कौशल विकास प्रशिक्षण						स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी					
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
2	आंध्र प्रदेश	8	2	1334	74	330	0	0	0	0	104	76	0	0	0	0	0	0	50
3	असम	0	144	538	188	3051	0	0	7	38	143	272	0	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	गुजरात	0	0	96	9	0	0	0	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	झारखंड	0	0	108	16	68	0	0	0	24	10	0	0	0	0	0	0	0	0
9	कर्नाटक	17	293	920	429	1046	0	0	51	29	0	171	98	0	0	0	0	0	104
10	केरल	0	0	504	14	0	0	0	0	161	153	0	0	0	0	0	0	0	0
11	मध्य प्रदेश	0	0	305	0	169	0	0	0	49	40	0	0	0	0	0	0	3	29
12	महाराष्ट्र	0	0	4605	1002	718	0	0	0	0	569	763	50	0	0	0	0	0	2
13	ओडिशा	45	1	0	1	11	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
14	पंजाब	0	1	126	8	9	0	22	6	29	0	0	0	14	0	1	0	5	0
15	राजस्थान	104	23	2038	82	232	0	53	73	107	220	347	95	0	0	0	0	0	0
16	तमिलनाडु	108	38	41	27	14	0	0	0	259	0	0	0	0	0	0	75	3	0
17	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
18	उत्तर प्रदेश	1075	669	5154	11044	6267	0	4298	126	1041	833	3741	1021	182	159	140	32	146	118
19	उत्तराखंड	0	0	1755	324	2775	0	0	1	163	460	735	0	0	0	3	0	0	0
20	पश्चिम बंगाल	0	0	555	28	2	0	0	35	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0
कुल		1357	1171	18079	13246	14692	0	4373	334	1682	2532	6204	1264	196	159	144	107	157	328

*****